पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 193/2025

अनवान :

विनीत कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1.सुरेश कुमार पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासीयान शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.कोमल पुत्री सुरेश कुमार जाति बिश्नोई निवासीयान शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति:—1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :—वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिह :—प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 15/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर घोशणा की जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम से चक नं0 3 एस.एस.डबल्यू. के खाता सं0 87/82 में कुल 8.071 है0 में 19/108 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 88/83 में कुल 2.530 है0 में 19/54 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 65/60 में 2.530 है0 मे से 41/300 हिस्सा, चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 145/108 में कुल 2.783 है0 में 19/108 हिस्सा, इसी चक के खाता सं0 120/81 में कुल 6.578 है0 में से 1531/10800 हिस्सा व चक नं0 3 एस.एस.डबल्यू. के खाता सं0 110/98 में 1.012 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 3 एस.एस.डबल्यू. के खाता सं0 87/82, इसी चक के खाता सं0 88/83, इसी चक के खाता सं0 65/60, चकनं0 19 जीजीआर के खाता सं0 145/108, इसी चक के खाता सं0 120/81 व चक नं0 3 एस.एस.डबल्यू. के खाता सं0 110/98 में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृशि भूमि बैंक रहन है तो

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(\[illegible\] R.A.S)
[illegible] अधिकारी (राजस्व)
एवं [illegible] कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी